न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 208/2016

1 महावीर
2 दौलत
3 राजु
4 महेशकुमार पुत्रगण स्व. बंशी
5 घासीराम
6 शंकरलाल
7 शम्भुदयाल पुत्रगण स्व. मालाराम जाति नाई निवासीगण गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी दावा उनवानी महावीर
वगै. बनाम राज. सरकार मुकदमा नम्बर 308/2013
निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री वीरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

-निर्णय-

दिनांक:- 24/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 308/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 24, 26 वाके ग्राम गिरावड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि गत खसरा नम्बर 28 व 37 में से करीब साढे ग्यारह बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता माला व बंशी काश्त करते थे। उक्त भूमि माला व बंशी तत्कालीन जागीरदार बलसिंह जी से 8 आने प्रति बीघा लगान पर ली थी जिसकी लिखावट जागीरदार ने अपीलार्थीगण के पिता की बही में की थी। अपीलार्थीगण पीढ़ियों से उक्त भूमि में मकान बनाकर आबाद है व काश्त करते आ रहे है। चूंकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय दरज चली आ रही थी इसलिये अपीलार्थीगण ने गत खसरा नम्बर 28 मी. व 31 मी. जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 24 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 2.31 हैक्टेयर आये है कि टिनेन्सी की घोषणा के लिये विचारण न्यायालय में दावा पेश किया था। दावा प्रतिवादी के जवाब में चल रहा था। दिनांक 30.06.2016 को राजस्व कैम्प बागोरा में रेस्पोडेन्ट से जवाब दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने न तो दावे में तनकी कायम की न ही साक्ष्य रिकार्ड की। विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर अपीलार्थीगण का दावा गलत रिकार्ड के आधार पर खारिज कर दिया जो सही नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। विचारण न्यायालय ने कानून के अनुसार दावें में निर्णय नहीं किय। इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायिक निर्णय की परिधि में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम गिरावड़ी की भूमि हाल खसरा नम्बर 24 रकबा 0.52 हैक्टेयर जो गत खसरा नम्बर 28 मी. से एवं हाल खसरा नंम्बर 26 रकबा 2.10 हैक्टेयर जो गत खसरा नम्बर 28 मी. 31 मी. से बने है। यह भूमि गत सेटलमेंट के समय राजकीय भूमि रिकार्ड मे दर्ज थी। तथागत सेटलमेंट अनुसार ही हाल बन्दोबस्त में भूमि राजकीय दर्ज हुआ है। भूमि राजकीय खाते में होने से अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 28.10.2015 की आदेशिका के अनुसार तलबी हेतु दिनांक 30.12.2015 को नियत की गई। इसके उपरांत दिनांक 30.12. 2015, 24.02.2016 एवं 04.05.2016 को मोहर अंकित कर आगामी तिथि नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.06.2016 को तलबी की कार्यवाही पूर्ण किये बिना विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अनुसार तामील प्रकिया पूर्ण कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

निर्णय आज दिनांक 24/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर